

मु० न०:- 185/2022

तारीखरजु:- 13.10.22

उनवान:- हरिचरण बनाम मगनी  
दावा बाबत तकारमा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 13/10/22 फर्द अहकाम  
वादी की और से श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट ने दावा बाबत तकारमा, स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 21/10/22 को पेश हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

5655-63  
13.10.22

21-10-22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। प्रतिवादी न० 6, 7, 8, 9 उपर। प्रतिवादी न० 5 के जोरीण पाल के तर्फिन दुष्ट है तर्फिन कानी जारी है। तकारमा के अन्तर्गत उक्त - पापलव्य होने से प्रतिवादी न० 5 के विरुद्ध तहसील कार्याधी अन्तर्गत में लाई जारी है। प्रतिवादी न० 1, नगाव 4 को जारी नोटिस विविधत तर्फिन न होने से दुष्ट: तलबी पेश करे। पत्रावली जादले जवाब व तलबी हेतु दिनांक 10.11.22 को पेश है।

राजेन्द्र  
मीना  
पिंकी

10.11.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। प्रतिवादी न० 6, 8 ने स्कंफ उपस्थित होकर जवाब पेश करने के लिए समझ गये। समझ डिग गया। व प्रतिवादी न० 7 बाबजूड सूचना उपर नही हुआ। उक्त के खिलाफ एड तरफा कार्याधी अन्तर्गत में लाई जारी है। शेष प्रतिवादी न० 1, नगाव 4 को पुनः तलबी कराने

पिंकी  
मीना



दिनांक

25-10-2017

पत्रावली पेश हुई / वाडी रुप वाडी वमील  
 कोडी उपखण्ड नहीं हुआ / वाट & कावजा  
 डिवाइस नहीं / इसके उपखण्ड भी वाडी रुप  
 वाडी वमील कोडी उपखण्ड नहीं हुआ /  
 इसलिये वाडी का डाटा वापस (कावजा भावना)  
 वाडी वमील की भाडम पैवनी भाडम ट्राजिपे  
 में स्थापित किया जाया है / पत्रावली  
 प्रेसालक्ष्मा डोकल नरपटके कम कर  
 डारिव इस्ट डे /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं